न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी नन्नूमल पहाड़िया, आई.ए.एस.

उनवान

सरकार जरिये तहसीलदार मासलपुर तहसील मासलपुर जिला करौली – प्रार्थी

बनाम

1. राजवीर
2. बटुआ — पिसरान शोले
3. प्रहलाद
4. रमेश — पिसरान तुईया

जाति गूजर निवासी नवलापुरा तहसील मासलपुर जिला करौली

5. शाखा प्रबंधक, बैंक ऑफ इण्डिया शाखा करौली – अप्रार्थीगण

रेफरेन्स अंतर्गत धारा 82 भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक–11.09.2019

प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि भूमिधारी तहसीलदार मासलपुर ने अप्रार्थीयान के विरूद्ध यह प्रार्थना पत्र रेफरेन्स प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि आराजी खसरा नंबर 106/2 रकबा 1–15 बीघा ग्राम नवलापुरा (नवीन राजस्व ग्राम) तहसील मासलपुर का प्रार्थी लैण्ड होल्डर है। यह कि आराजी खसरा नंबर 106 रकबा 1–16 बीघा ग्राम नवलापुरा (नवीन राजस्व ग्राम) सम्वत् 2015 एवं इसके पश्चात् तालाबी–1 दर्ज रिकॉर्ड था परन्तु जमाबन्दी सम्वत् 2030–2033 तक के खाता सं 433 किस्म तालाबी–1 से श्री शोले, प्रहलाद, रमेश पिसरान तुईया गूजर निवासी नवलापुरा (नवीन राजस्व ग्राम) के नाम जरिए नियमन से दर्ज कर दिया गया। वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2072 से 2075 तक में राजवीर, बटुआ पिसरान शोले, प्रहलाद, रमेश पिसरान तुईया गूजर निवासी नवलापुरा तहसील मासलपुर जिला करौली के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। यह कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड में दर्ज झील, तालाब, नदी, नाले, जलाशयों आदि की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार उद्भूत नहीं होते हैं इस प्रकार से यह अंकित हस्तांतरण अवैध एवं स्वयं ही प्रभाव शून्य होने से निरस्त योग्य है। डी0बी0 सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2004 के द्वारा नदी, नाले, जलाशय आदि की भूमि जो दिनांक 15.08.1947 में राजस्व रिकार्ड में दर्ज है को वापस सरकारी भूमि में दर्ज करने एवं इसके बाद हुए परिवर्तन को अवैध घोषित किए जाने के निर्देश हैं। अंत में प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए आराजी खसरा नंबर 106/2 रकबा 1–15 बीघा बाके ग्राम नवलापुरा (नवीन राजस्व ग्राम) को वापस राजकीय भूमि तालाबी–1 दर्ज किए जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है।

उक्त प्रार्थना पत्र के साथ रिपोर्ट पटवारी, जमाबन्दी सम्वत् 2015, नामांतरकरण संख्या 23 दिनांक 18.02.1971, नामांतरकरण संख्या 35 दिनांक 21.07.1989, नामांतरकरण संख्या 215 दिनांक 21.07.2014, नामांतरकरण संख्या 167 दिनांक 20.09.2017, जमाबन्दी सम्वत् 2030 से 2033, 2068–71, 2072–75 की प्रति संलग्न की है।

तहसीलदार मासलपुर के उक्त प्रार्थना पत्र रेफरेन्स के इस न्यायालय में प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी अप्रार्थीयान की गई।

अप्रार्थी नं. 1 ता 4 ने जवाब पेश कर निवेदन किया है कि उपरोक्त प्रकरण का रेफरेन्स गलत रूप से बनाया गया है। आराजी खसरा नं. 106/2 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा ग्राम नवलापुरा तहसील मासलपुर शिरू से बारानी जमीन रही है मौके

जिला कलक्टर
करौली

पर कही भी तालाब नहीं है। नाही तालाब के रूप में उपयोग–उपभोग सार्वजनिक रूप से किया जाता है नाही पानी भरता है। इसको गलत तरीके से किस्म तालाबी दर्ज किया गया है। उक्त जमीन को हम पचासो साल से काश्त करते चले आ रहे है। मौके पर काबिज है। लाखो रूपया लगाकर काबिल काश्त बनाया है। यह रेफरेंस की श्रेणी में नहीं आती है। उक्त जमीन में रबी व खरीफ की फसल काश्त करते चले आ रहे है और काबिज है। अंत में रेफरेंस प्रार्थना पत्र को खारिज फरमाये जाने का निवेदन किया है।

वकील अप्रार्थी नं. 5 ने मीमो ऑफ अपीयरेन्स पेश कर वकालतनामा व जवाब पेश करने हेतु समय चाहा लेकिन 5 महीने से भी अधिक समय गुजरने के उपरान्त भी न तो वकालतनामा पेश किया है और ना ही जबाव पेश किया है। अतः इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पैरोकार सरकार का बहस में कथन है कि आराजी खसरा नंबर 106/2 रकबा 2–18 बीघा ग्राम नवलापुरा (नवीन राजस्व ग्राम) सम्वत् 2015 एवं इसके पश्चात् तालाबी–1 दर्ज रिकॉर्ड था परन्तु जमाबंदी संवत् 2030–33 तक के खाता संख्या 433 किस्म तालाबी–1 से श्री शोले, प्रहलाद, रमेश पिसरान तुईया गूजर निवासी नवलापुरा के नाम जरिए नियमन से दर्ज कर दिया गया। संवत् 2072–75 में यह भूमि राजवीर, बटुआ पिसरान शोले, प्रहलाद, रमेश पिसरान तुईया गूजर निवासी नवलापुरा तहसील मासलपुर जिला करौली के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड में दर्ज झील, तालाब, नदी, नाले, जलाशयों आदि की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार उद्भूत नहीं होते हैं इस प्रकार से यह अंकित हस्तांतरण अवैध एवं स्वयं ही प्रभाव शून्य होने से निरस्त योग्य है। डी0बी0 सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2004 के द्वारा नदी, नाले, जलाशय आदि की भूमि जो दिनांक 15.08.1947 में राजस्व रिकार्ड में दर्ज है को वापस सरकारी भूमि में दर्ज करने एवं इसके बाद हुए परिवर्तन को अवैध घोषित किए जाने के निर्देश हैं। अंत में प्रार्थना पत्र रेफरेन्स स्वीकार किये जाने का कथन किया है।

वकील अप्रार्थी नं. 1 ता 4 ने बहस में कथन किया है कि उपरोक्त प्रकरण का रेफरेन्स गलत रूप से बनाया गया है। आराजी खसरा नं. 106/2 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा ग्राम नवलापुरा तहसील मासलपुर शुरुआत से बारानी जमीन रही है। मौके पर कही भी तालाब नहीं है। नाही तालाब के रूप में उपयोग–उपभोग सार्वजनिक रूप से किया जाता है ना ही पानी भरता है। इसको गलत तरीके से किस्म तालाबी दर्ज किया गया है। उक्त जमीन को हम पचासों साल से काश्त करते चले आ रहे है। मौके पर काबिज है। लाखो रूपया लगाकर काबिल काश्त बनाया है। यह रेफरेंस की श्रेणी में नहीं आती है। उक्त जमीन में रबी व खरीफ की फसल काश्त करते चले आ रहे है और काबिज है। अंत में रेफरेंस प्रार्थना पत्र को खारिज फरमाये जाने का कथन किया है।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का गंभीरतापूर्वक अवलोकन करते हुए मनन किया। जमाबन्दी संवत् 2015 के अनुसार सिवायचक बिला लगानी आराजी खसरा नंबर 106/2 रकबा 1–15 बीघा तालाबी–1 दर्ज रिकॉर्ड है। नकल जमाबंदी संवत 2030–33 तक के खाता संख्या 433 किस्म तालाबी–1 से श्री शोले, प्रहलाद, रमेश पिसरान तुईया गूजर निवासी नवलापुरा (नवीन राजस्व ग्राम) के नाम नामांतरकरण संख्या 23 दिनांक 18.02.1971 को स्वीकार किया गया है। नकल जमाबन्दी सं0 2072 लगायत 2075 के अनुसार खसरा नंबर 106/2 किस्म तालाबी–1 रकबा 1–15 बीघा राजवीर, बटुआ पिसरान शोले, प्रहलाद, रमेश पिसरान तुईया गूजर निवासी नवलापुरा तहसील मासलपुर जिला करौली अंकित है। इससे स्पष्ट है कि यह जमीन पूर्व में तालाबी–1 दर्ज

जिला कलक्टर
करौली

थी जिसकी किस्म परिवर्तन के बाद भूमि आवंटित की गई है। चूंकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज झील, तालाब, नदी, नाले, जलाशयों आदि की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार उद्भूत नहीं होते हैं इस प्रकार यह अंकित हस्तांतरण अवैध एवं स्वयं ही प्रभाव शून्य होने से निरस्त योग्य है। डी0बी0 सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 02.08.2004 के विस्तृत निर्णय में उल्लेखित किया है कि All the lands shown as drainage channels like nalla, rivers, tributaries etc. as on 15-08-1947 should be declared as Government land. Any conversions made after 15-08-1947 should be declared illegal. The relevant act and rules must be amended accordingly. माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा जनहित याचिका में पारित निर्णय से हम सहमत है।

अतः भूमिधारी तहसीलदार मासलपुर का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 L.R. Act 1956 स्वीकार किया जाकर ग्राम नवलापुरा (नवीन राजस्व ग्राम) की आराजी खसरा नंबर 106/2 रकबा 1–15 बीघा को वापस राजकीय भूमि तालाबी–1 दर्ज करने की स्वीकृति देने हेतु मूल पत्रावली राजस्व मण्डल अजमेर को प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 11.09.2019 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(नन्नूमल पहाडिया)
जिला कलक्टर
करौली